

भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,  
सीप्लू विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण,  
सीप्लू-सेज़, अंधेरी (पू.),  
मुंबई - 400 096

\*\*\*\*\*

सं.सीप्लू-सेज़/संपदा/एटीएच/163/2017-18 / 23917

दिनांक 28 नवंबर, 2017

परिपत्र संख्या 19 / 2017

सीप्लू क्षेत्र संकुल में स्थित यूनिटों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उनको आबंटित परिसरों के किराया बिल ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर सिस्टम में खराबी आ जाने के कारण दिनांक 01.10.2017 से बिल सही तरीके से जनरेट नहीं हो पा रहे हैं तथा इस कार्यालय द्वारा इनमें कमियां देखी जा रही हैं। इसलिए सक्षम प्राधिकारी ने निम्नानुसार निर्णय लिया है:-

- (i) दिनांक 01.10.2017 से दिनांक 31.3.2018 तक की अवधि के किराया बिल हाथ से बनाए जाएंगे तथा यूनिट दिनांक 31.12.2017 तक कुल देय बिना ब्याज के भुगतान कर सकते हैं। अप्रैल, 2018 के बिलों के बकाया भुगतान न किए जाने पर दिनांक 01.9.2017 से लागू दर पर ब्याज वसूला जाएगा।
- (ii) सॉफ्टवेयर द्वारा अक्टूबर, 2017 महीने का जारी बिल रद्द समझा जाएगा। जिन यूनिटों ने दिनांक 01.9.2017 से आगे के बकाया देय का भुगतान कर दिया है, वे बिना ब्याज के दिनांक 31.12.2017 तक का शेष भुगतान कर सकते हैं।
- (iii) यूनिटों द्वारा डीडी के जरिए किए गए भुगतान की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में नहीं की जाएगी क्योंकि सॉफ्टवेयर में पहुंच को निलंबित कर दिया गया है।

अतएव, सभी यूनिटों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करें तथा हाथ से बनाए गए किराए बिल के प्राप्त होने पर किराया प्रभारों का भुगतान करें।

यह अध्यक्ष, सीप्लू - सेज़ प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(महेश यादव)

संपदा (प्रबंधक) / उविआ  
सीप्लू-सेज़ प्राधिकरण

प्रतिलिपी:- सभी यूनिट तथा जनपयोगी सेवाएं।

**GOVERNMENT OF INDIA,  
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,  
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY,  
SEEPZ-SEZ, ANDHERI (E),  
MUMBAI - 400 096**

\*\*\*\*\*

**No. SEEPZ-SEZ/ESTATE/ATH/163/2017-18/23317 28<sup>th</sup> November, 2017**


**CIRCULAR NO. 19 /2017**

Attention of the unit in SEEPZ Zone Complex is invited that rent bills in respect of premises allotted to them are being issued online. Due to malware function in the Software system, the bills w.e.f. 1.10.2017 are not being generated correctly and discrepancies have been noticed by this office. The Competent Authority has now decided the following:-

- (i) Rent Bills for the period 01.10.2017 to 31.03.2018 would be issued manually and units can pay the total dues upto 31.12.2017 without interest. Interest at the applicable rate would be levied w.e.f. 01.09.2017 on non-payment of dues in April, 2018 bill.
- (ii) Bill issued by the Software for the month of October, 2017 would be treated as cancelled. Those units who have paid the dues from 01.09.2017 onwards may make balance payment upto 31.12.2017 without interest.
- (iii) Payment through DD would not be entered by the units in the software as access to the software has been suspended. The same will be entered into tally software used by this office.

All units are, therefore, requested to adhere the above direction and pay the rent charges on receipt of Manual Rent Bill.

This issues with the Approval of Chairman, SEEPZ-SEZ Authority.



(Mahesh Yadav)  
Estate Manager/DDC,  
SEEPZ-SEZ Authority

Encl: All Units & Public Utility